

**बिहार सरकार**  
**वाणिज्य-कर विभाग**  
**-:अधिसूचना:-**

संचिका संख्या :-6 / वि०नि०-18-03 / 2023

पटना, दिनांक-

श्री मनीष कुमार बिहारी, राज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्रभारी), पटना मध्य अंचल-2, पटना को बिहार सेवा संहिता के नियम-227, 230 एवं 248 के तहत दिनांक-10.06.2026 से 26.06.2026 तक कुल 17 दिनों का उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उक्त उपार्जित अवकाश की स्वीकृति के उपरांत श्री बिहारी के अवकाश लेखा में (300-17=283) (दो सौ तिरासी) दिन उपार्जित अवकाश शेष रह जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(विजय कुमार)

सरकार के उप सचिव,

वाणिज्य-कर विभाग,

बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- 6 / वि०नि०-18-03 / 2023 3369 / पटना, दिनांक- 01/09/26

प्रतिलिपि:-प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना-800015/वरीय कोषागार पदाधिकारी, समाहरणालय कोषागार, पटना/राज्य-कर अपर आयुक्त (प्रशासन), पटना पश्चिमी प्रगण्डल, पटना/नोडल पदाधिकारी(स्था०),एच०आर०एम०एस०, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना एवं श्री मनीष कुमार बिहारी, राज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्रभारी), पटना मध्य अंचल-2, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

31.08.2026  
सरकार के उप सचिव,  
वाणिज्य-कर विभाग,  
बिहार, पटना।